न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 413/13 निर्णय दिनांकः– 22–01–2020

1. मदनलाल पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी ग्राम नाथवाणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 05–07–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 05–07–1993 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 2 एमटीएम के मुरब्बा नम्बर 191/57 के किला नम्बर 1 ता 25 की में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 25–03–1998 को आवंटित की गई थी तथा अपीलांट आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत

मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रही है।

उन्होनें आगे बताया कि जहॉ तक वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुरब्बा नम्बर 190/28 के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में कॉट–छॉट करके मुरब्बा नम्बर 191/57 अंकित किया गया है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त भूमि के आवंटन का कभी भी पात्र नहीं रहा है। मौके पर आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भी जॉच नहीं की गई कि उसके धारण में पूर्व में कितनी भूमि निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के धारण में पूर्व से ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। ऐसी स्थिति में वह वादग्रस्त भूमि के आवंटन का पात्र नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा तथ्यों की जॉच किये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आवंटन के पश्चात् कभी भी मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया ना ही राजस्व रिकार्ड के उसके आवंटन का अमल दरामद ही किया गया है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने पर व मौके पर खाली होने के आधार पर अपीलांट को विधिवत रूप से आवंटित की गई है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवंटन को निरस्त करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को भी विधिवत रूप से आवंटित भूमि है। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की जानकारी प्राप्त होते ही जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि वर्ष 1993 से आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन पुनः अपीलांट को नहीं किया जा सकता। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ना तो मौके की जॉच की गई ना ही

संबंधित पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौके पर आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा काश्त है। अपीलांट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पूर्ववर्ती आवंटन को बहाल रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादगत् भूमि चक 2 एमटीएम के मुरब्बा नम्बर 191/57 के किला नम्बर 1 ता 25 की तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन विशेष श्रेणी के तहत आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 05—07—1993 को किया गया था। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में दिनांक 25—03—1998 को किया गया है।

(2) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है।

(3) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है तथा दोनों आवंटनों को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि गत् 20 वर्षो के दौरान आराजी जैर किसके कब्जे काश्त में रही है। इस बाबत् कोई सबूत न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में जमाबन्दी में किसके नाम दर्ज है, इस बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य किसी भी पक्ष के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष के आवंटन को खारिज करते हुए अन्य पक्षकार को बेजा फायदा पहुँचाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। दोनों पक्षों द्वारा अपने—अपने आवंटन को वैध धोषित करवाने की चेष्टा अपील के माध्यम से की गई है।

प्रकरण में चूंकि न्यायालय हाजा के समक्ष ना तो मौके पर वर्तमान कब्जे काश्त की कोई रिपोर्ट है ना ही राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई है। ऐसीस्थिति में दोनों आवंटनों की वैधता व उसके बाद की कार्यवाहियों के संबंध में बिना जॉच किये किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना युक्तियुक्त नहीं होगा।

7. अतः अपीलांट की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में दोनों आवंटनों की जॉच, मौके की आज दिनांक की स्थिति व राजस्व रिकार्ड की स्थिति की जॉच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12—03—2020 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें।

8. निर्णय आज दिनांक 22—01—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.01 20:58:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: